न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

निगरानी-2951/2018/नरसिंहपुर/भू.रा

सुरेश कुर्मी आत्मज ईश्वरसिंह कुर्मी

निवासी ग्राम मगरधा तहसील व जिला नरसिंहपुर ....आवेदक

बनाम

तुलसीराम उर्फ ईश्वरप्रसाद कुर्मी आत्मज ताराचंद कुर्मी

निवासी ग्राम मगरधा तहसील व जिला नरसिहपुर ..... अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.59

आवेदक वर्तमान निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख नरसिहपुर रा.मा. क्रमांक 10अ/12 वर्ष 17-18 नाप एवं प्रतिवेदन दिनांक 24/11/2017 से पीड़ित होकर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत है :-

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी के तथ्य

1:- अनावेदक तुलसीराम कुर्मी द्वारा अपनी भूमि मौजा मगरधा नं.व. 446 प.ह.नं. 44 तहसील व जिला नरसिहपुर में स्थित जमीन खसरा नबंर 19 रकवा 0.053 हेक्टेयर, खसरा नबंर 207/1 रकवा 2.274 हेक्टेयर, खसरा नबंर 207/2 रकवा 1.137 हेक्टेयर के नाप हेतु जन सुनवाई में आवेदन पत्र दिनांक 14/11/2017 में दिया गया था जिसमें दिनांक 24/11/2017 को अधीक्षक भू-अभिलेख नरसिहपुर द्वारा नाप किया गया एवं उनके द्वारा मौके पर रोड़ से लगकर 50 कड़ी का अवैध कब्जा सुरेश कुमार कुर्मी आवेदक का बताया गया जिसकी सूचना आवेदक को नहीं दी गई बल्कि अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र धारा 250 म.प्र.भू.रा.संहिता के अन्तर्गत अवैध कब्जा हटाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसकी सूचना मिलते ही आवेदन पत्र दिनांक 5/5/2018 में प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल दिनांक 7/5/2018 में प्रदाय की गई एवं जानकारी होते ही वर्तमान निगरानी प्रस्तुत है ।

निगरानी के आधार

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2959/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2017 के विरुद्ध दिनांक 14.05.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो अवधि वाह्य है। विलंब के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जबकि अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट कारण दिया जाना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	